

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक प. F2(14)III-A/निर्वा/106/P-III/2013-14 14571

जयपुर दिनांक: 16.9.13

प्रेषक:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित:- जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) समस्त,
आहरण एवं वितरण अधिकारी,
मुख्यालय, जयपुर।

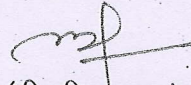
विषय:- विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान AC बिल द्वारा नगद आहरण की
स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विधानसभा आम चुनाव 2013 के दौरान तत्काल होने वाले व्यय यथा पेट्रोल/डीजल आउटसाईट पेमेन्ट के एकमुश्त भुगतान एवं अन्य समस्त आकस्मिक व्यय, सा. वि. एवं लेखा नियम भाग-I नियम 219 के अनुलग्नक 'क' के अन्तर्गत सहपठित नियम 74 में शिथिलता देते हुए ए.सी. बिल द्वारा नगद आहरण करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। ए.सी. बिल द्वारा आहरित राशि का समायोजन डी.सी. बिल द्वारा सा. वि. एवं लेखा नियम के तहत नियमानुसार समय पर किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. सं. 261300172 दिनांक 10.09.2013 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,


(पी.सी. गुप्ता)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर